संलग्नक सं–16

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग लम्बाई–3.00 किमी0।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद **अल्मोड़ा** के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग लम्बाई–3.00 किमी0** वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ....अल्मोड़ा.......... तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

उपजिलाधिकारी सदर,
अल्मोड़ा

07.03.15
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा.

FORM-1

1.6A

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No……………………… Dated………………………..

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th Feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.858 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Provincial Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Jalna to T.R.C. Toli Motor Road (3.00 Km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Toli Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.858 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

07.03.15

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

V6B

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.858 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

01.03.15

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

1.64

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., Deputy commissioner, Almora of date 07.03.15 at time 3:00 PM at Almora in which application claiming rights **Toli area measuring 0.858 hect. for the Construction of Jalna to T.R.C. Toli Motor Road (3.00 km)** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Dated:

07.03.15

जिलाधिकारी,

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee.

जिला समाज कल्याण अधिकारी

अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग। (लम्बाई– 3.00 कि0मी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, –अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड **अल्मोड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग। (लम्बाई– 3.00 कि0मी0)।** (0.00है0 आरक्षित वन भूमि, **0.858 है0** सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.00है0** वन पंचायत भूमि, अर्थात **कुल 0.858 है0** वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –अल्मोड़ा) की दिनांक 5/3/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्रीमती रिंकू बिष्ट**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्रीमती रिंकू बिष्ट , उपजिलाधिकारी,अल्मोड़ा– अध्यक्ष

2– श्री अमरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा–सदस्य

3– श्री भारत भूषण सहायक समाज कल्याण अधिकारी लमगड़ा सदस्य/सचिव

4– श्रीमती कमला उनोला बी0डी0सी0 क्षेत्र तोली सदस्य.

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग। (लम्बाई– 3.00 कि0मी0)।** परियोजना हेतु **0.858 है0** वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का

दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **अल्मोड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग। (लम्बाई– 3.00 कि0मी0)।** परियोजना के निर्माण हेतु 0.8584है0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–..............................

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा.................... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..............................
जनपद–..............................

1.6F

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...तोली...........

तहसील...अल्मोड़ा........, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें जनपद अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 3.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु ......–........है0 आरक्षित वन भूमि, 0.858... हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि ......–.....हे0 अर्थात कुल 0.858... हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....तोली.............द्वारा दिनांक...24/2/15.........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......तोली..............................के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव/ग्राम विकास अधिकारी
तोली / जलना
विकास खण्ड-लमगड़ा, जनपद-अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान 24.2.15
पी0 एस0 रसीला
प्रधान
ग्राम पंचायत –तोली
वि0 ख0– लमगड़ा, अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.1

दिनांक 24/2/15को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....तोली..............

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
(2)	चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
(3)	मान सिंह	मान सिंह
(4)	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
(5)	इकली देवी	इकली देवी
(6)	उमेद सिंह	उमेद सिंह

24.2.15

ग्राम प्रधान

पी0 एस0 डसीला
प्रधान
ग्राम पंचायत –तोली
वि0 ख0– लमगड़ा, अल्मोड़ा

प्रपत्र–23

<u>परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंर्तगत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0</u>

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–तोली
तहसील–अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंर्तगत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग लम्बाई–3.00 कि0मी0** परियोजना के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.858** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **शून्य** है0 अर्थात कुल **0.858** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **तोली** द्वारा दिनांक 25.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **मल्ली तोली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 25.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– तोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शेर सिंह	शेर सिंह
2	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मन सिंह
3	दीवान सिंह	[illegible]
4	जीत सिंह	जीत सिंह
5	चन्दन सिंह	चन्दन
6	जीत सिंह	[illegible]

ग्राम प्रधान